m(J)
Pe...
19.X.15

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक: 14-10-2015

क्र: **एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह**: मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि .की प्रस्तावित प्लास्टिक एवं कोटेड फिल्म निर्माण परियोजना में बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना को निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 18.08.2015 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए का निम्नानुसार संशोधित सुविधाओं का पैकेज दिया जावे-

1. **उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना, 2014 अंतर्गत-**

(i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** प्रथम 10 वर्षों हेतु 100 प्रतिशत की दर से एवं अगले 5 वर्षों हेतु 75 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की सीमा तक प्रदान की जावे। जीएसटी लागू होने की दशा में वेट एवं सीएसटी की सहायता अनुपातिक रूप से देय होगी।

(ii) **विद्युत शुल्क से छूट-** विद्युत शुल्क से 10 वर्षों हेतु छूट प्रदान की जावेगी।

2. **अन्य सुविधाएं-**

(i) **विद्युत दर पर छूट-** विषयांकित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 7 वर्षों के लिये रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से प्रचलित विद्युत दर पर छूट दी जावेगी।

(ii) **132 के.वी. स्वतंत्र फीडर ट्रान्समिशन लाईन से विद्युत आपूर्ति:-** कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना को 132 के.वी. का कनेक्शन प्रदान करने हेतु ट्रान्समिशन लाईन बिछाने पर होने वाले संभावित व्यय का वहन कॉस्ट शेयरिंग (50 प्रतिशत-50 प्रतिशत) आधार पर कम्पनी तथा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्सिमिशन कम्पनी लि. द्वारा किया जावेगी।

3. निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 18.08.2015 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी विभागीय सुविधा स्वीकृति आदेश दिनांक 27.08.2015 अंतर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त उल्लेखित सुविधाओं का लाभ यथावत रहेगा।

4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-19/2015/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 14-10.2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मेसर्स वेकमेट इण्डिया लि., अनंत प्लाजा, द्वितीय तल, 4/117-2ए, सिविल लाईन, चर्च रोड, आगरा-2, उत्तर प्रदेश ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग